(Reader)

26.06.24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथमदृष्टया मामला सुविधा एवं संतुलन की दृष्टि से प्रार्थी के पक्ष में है। ऐसे में रिकॉर्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन किये जाने पर वाद विविधता बढ़ेगी। तथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

अतः अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दोनों पक्षों को पाबंद किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक मौजा भण्डारी में खसरा सं. 473 व 538 रकबा क्रमशः 1.2202 व 0.5504 हैक्ट. भूमि पर ~~काश्त~~ अतिक्रमण, निर्माण न तो स्वयं न अन्य किसी व्यक्ति से करावें। दोनों पक्ष एक दूसरे को काश्त में रुकावट पैदा न करें वादग्रस्त भूमि विक्रय अथवा बक्शीश न करें न अन्य किसी व्यक्ति से करावें। मूल वाद के निस्तारण तक रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner